Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में लूट व चोरी करने वाले आरोपी विशाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 19 माह का कारावास व 2500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लूट व चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/2020 धारा 414 भादवि, मु0अ0सं0 237/2020 धारा 392/411 भादवि व मु0अ0सं0 268/2020 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18.10.2025 को मा0 न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विशाल को दोषी पाते हुए 19 माह का कारावास व 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-सिंघावली अहीर दिनाँक- 18.10.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जीशान उर्फ सुक्का पुत्र दिलशाद उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावलली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाश चन्द थाना सिंघावलली अहीर जनपद बागपत।

2- का0 955 रवि कुमार थाना सिंघावलली अहीर जनपद बागपत।

3- का0 131 प्रवेन्द्र कुमार थाना सिंघावलली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-18.10.2025**

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मिश्रित अवैध पटाखे वजन करीब 12 किलोग्राम बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध पटाखों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 02 पेटी में मिश्रित पटाखे वजन करीब 12 किलोग्राम बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुल्लू उर्फ गुलबहार उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र तरीकत निवासी मैना पुट्टी थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 पेटी में मिश्रित पटाखे वजन करीब 12 किलोग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री सुरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2-है0का0 36 हरविन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत

3-है0का0 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 18.10.25

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 670/25 धारा 115(2),351,352,109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.10.2025 को थाना बडौत पर वादी तहसीन पुत्र शरीफ निवासी बडका रोड रिसाल बिहार गली न0-01 कस्बा व थाना बडौत बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. समीर पुत्र सलीम 2. चाँद पुत्र सलीम नि0गण नामालूम व एक नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करना व मारपीट करना व जान से मारने की नियत से सिर पर किसी चीज को मारना व जान से मारने की धमकी देना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 670/25 धारा 115(2),352,351,109(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 670/25 धारा 115(2),352,351,109(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

चाँद पुत्र सलीम निवासी बडका रोड पोलटैक्निक स्कूल के सामने कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
2-है0का0 65 महिपाल सिहँ थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक 18.10.2025**

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध निर्मित पटाखे वजन करीब 30 किलोग्राम बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से निर्मित अवैध पटाखे जिनका वजन करीब 30 किलोग्राम बरामद हुए है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 141/25 धारा 5/9(B) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विशाल उर्फ विक्की पुत्र जयवीर निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष ।

2-राहुल गुप्ता पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत उम्र करीब 34 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- **निर्मित अवैध पटाखे जिनका वजन करीब 30 किलोग्राम**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री पंकज कुमार, थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

4- है0का0 341 वीरेन्द्र भाटी थाना बालैनी जनपद बागपत।

5-है0का0 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।